राजस्थान लोक सेवा आयोग

एफ. 7(02) **R'A'/AEI/Energy Dept./RPSC/2025-26/ 130** दिनांक : 26.05.2025

<u>प्रेस–नोट</u>

आयोग द्वारा सहायक विद्युत निरीक्षक (Assistant Electrical Inspector), ऊर्जा विभाग के पदों की भर्ती 2025 हेतु विज्ञापन सं. 1/Exam/AEI/RPSC/EP-I/2025–26 दिनांक 02.04.2025 जारी कर दिनांक 15.04.2025 से दिनांक 14.05.2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त पदों हेतु वांछित अनिवार्य योग्यता निम्नानुसार है –

> "(a) A Degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution or A Diploma in Electrical Engineering or its equivalent from recognized Institution" and
>
> (b) Has been regularly engaged for a period of three years in case of degree holders and Ten years in case of Diploma holders in the practice of Electrical Engineering of which not less than one year should have been spent in Electrical Engineering Workshop or generation of electricity or in the administration of Electricity of the Electricity Act, 2003 and rules made there under in a position of responsibility."

उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की रेण्डम/सेम्पल जांच की गई। उक्त जांच में पाया गया कि कतिपय आवेदकों के पास अनिवार्य योग्यता नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा आवेदन किया गया है। ऐसा किये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) कर दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 217 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं और उन्होंने उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उनको आगाह किया जाता है कि वे अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2025 तक प्रत्याहारित (Withdraw) कर लेवें। इस हेतु ऑनलाईन Withdraw करने के लिए दिनांक 28.05.2025 से 06.06.2025 तक Link सक्रिय रहेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सचिव